Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी मुकाम

सुरताराम बनाम ओमाराम वगैरह

किस्म मुकदमा 251A RTAct नं. 109/2018 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/5/18	वादी/प्रार्थी/अपीलान्ट ने एक वाद/प्रार्थना पत्र/अपील विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 19/5/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
19/5/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 1,4,5,7 से 12 के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। उक्त अप्रार्थीगण गैर हाजिर। शेष अप्रार्थीगण के सम्मन प्राप्त नहीं जो इन्तजार किया जावे। तहसीलदार बावड़ी से मौका रिपोर्ट ली जावे। तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी एवं रिपोर्ट दिनांक 27-5-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं	सुरताराम, रामरतन, ओमाराम, हस्ताक्षर
3/6/2018	पत्रावली आज राजस्व [illegible] कपुरा मे पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.03.08 11:55:10 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो ... हुक्म की ता... में जारी हु...

ख्यावड़ी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट का ध्यान-
पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा ग्राम
खिरणपुरा के अपनी खातेदारी कृषि भूमि
खसरा नम्बर 571 एवं 572 मे आने-जाने
हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा
नम्बर 569 व 570 की जमीन मे से रास्ता
चाहा गया।

मौके पर कैम्प कोर्ट खिरणपुरा मे मजमे आम
अप्रार्थीगण खातेदार जो मौका रिपोर्ट मे दर्शायी
गई भूमि मार्क B से C मे प्रस्तावित भूमि
मे ख.नं. 569 के खातेदार राय जाना
गया कि प्रस्तावित भूमि B से C मे मेरे खेत
के दो-तीन टुकड़े हो जायेंगे जबकि प्रार्थी
को अपनी खातेदारी भूमि मे जाने हेतु
अपने ही परिवार के खातेदार खसरा नम्बर
570 मे से रास्ता प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी
मात्र हमे परेशान करने एवं जानबूझ हमारे
खेत व ग्रामीणों के कहने से रास्ता चाहकर
खेत के दो-तीन टुकड़े करना चाहता है।
अप्रार्थीगण खातेदार ख.नं. 569 व प्रस्तावित
भूमि मार्क B से C के पास बने हुए घर
व जमीन के टुकड़े होने के कारण रास्ता
ख.नं. 569 मे से देने मे असहमति जताई।

पत्रावली के अवलोकन एवं मजमे आम
पक्षकारों को सुनने के [illegible] प्रकरण
मे विश्लेषण करने के [illegible] अपनी
खातेदारी भूमि ख.नं. 571 व 572 मे आने
जाने हेतु सीधा रास्ता ख.नं. 570 मे से
दिया जाना उचित प्रतीत हो रहा है, क्योंकि
खसरा नं. 569 के खातेदार की जमीन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.03.08 11:55:10 IST
Reason: SelfAttested

...र व तारीख अहकाम जो होकर हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	घरों के आस-पास वैर के टुकड़ा करना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 571 व 572 में पहुंचने हेतु मौका रिपोर्ट में मार्क D से E खसरा नं. 570 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।	

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' RT Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम विनायकपुरा के प्रार्थी के खाते की खातेदारी खसरा नम्बर 571 व 572 में जाने हेतु खसरा नम्बर 570 में से मौका रिपोर्ट में मार्क D से E 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया जाकर मजमे आम अनुमत किया जाता है। तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है कि उक्त अनुसार मार्क D से E 15 फीट चौड़ा रास्ता का रकबा निकालकर प्रार्थी को कब्जा करावें ताकि प्रार्थी उक्त रास्ते की जमीन का DLC दर से दोगुना राशि में खसरा नम्बर 570 के खातेदारों को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान हेतु तहसील कार्यालय बावड़ी में जमा करावें। मौका रिपोर्ट इस निर्णय का भाग होगी। [illegible] जारी हो। तहसीलदार बावड़ी को [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] आया। निर्णय आज कैम्प कोर्ट विनायकपुरा [illegible] खुले लोक में मजमे आम सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.03.08 11:55:10 IST
Reason: SelfAttested

(चंचल वर्मा)
शिविर प्रभारी अधिकारी
रा.लो.अ.अभि. न्याय आपके द्वार-2018
एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी